



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 23.01.2026

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, 1.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) बरामद कर अभियुक्त अमन कुमार उर्फ अप्पू पुत्र स्व० अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सदर के नेतृत्व में आज दिनांक 23.01.2026 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, कुल 1.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) बरामद करके अभियुक्त अमन कुमार उर्फ अप्पू पुत्र स्व० अमर सिंह निवासी ग्राम उदयपुर महेवा थाना कोतवाली सदर जिला खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं० 055/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमन कुमार उर्फ अप्पू पुत्र स्व० अमर सिंह निवासी ग्राम उदयपुर महेवा थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

बरामदगी का विवरण:-

कुल वजन 1.5 किलोग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ०नि० सत्येन्द्र कुमार वर्मा थानाकोताली सदर जनपद खीरी।
- 2.उ०नि० उमाशंकर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
- 3.हे०का० दिलीप कुमार थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
- 4.का० सुमित कुमार थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
- 5.का० सचिन कुमार थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

थाना खीरी पुलिस द्वारा, 01 नफर अभियुक्त छंगा लाल पुत्र मथुरा प्रसाद को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में एवं थानाध्यक्ष खीरी के नेतृत्व में आज दिनांक- 23.01.2026 को थाना खीरी पुलिस द्वारा, 01 नफर अभियुक्त छंगा लाल पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम चाऊपुर पड़री थाना व जिला खीरी को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खीरी पर मु0अ0सं0 059/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.छंगा लाल पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम चाऊपुर पड़री थाना व जिला खीरी

बरामदगी का विवरण

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 गौरव कुमार थाना व जिला खीरी
- 2.का0 सुधीर कुमार थाना व जिला खीरी
- 3.का0 शिवा सिंह थाना व जिला खीरी

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1.थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0नं0 403/19 धारा 366 भादवि में 01 नफर वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र मनोहर निवासी गज्जापुर थाना माहोली जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया।

2.थाना खमरिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 34/26 धारा 70(2),139(2)/115(2),352,351(3) बीएनएस व 5G/6पोक्सो एक्ट में 03 नफर वांछित अभियुक्तों 1. शैलेंद्र पुत्र सर्वेश कुमार 2. अनुज कुमार पुत्र सुरेश कुमार 3.सुशील कुमार पुत्र नंदराम निवासीगण बंसडिया थाना खमरिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 30 लीटर अवैध शराब बरामद कर

02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **30 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **02 नफर** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **02 अभियोग** पंजीकृत किये गये